

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष परिप्रेक्ष्य में समग्र एवं बहु-विषयक शिक्षा

नरेश कुमार*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वह शिक्षा नीति है जिसमें शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ-ही-साथ छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, सतत सीखते रहने की कला और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी विशेष बल दिया गया है। यह शिक्षा नीति जहाँ एक ओर प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है; तो वहीं दूसरी ओर यह नीति इस बात को स्वीकारती है कि ऐसी शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, कला, मानविकी, भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण 21वीं सदी की क्षमता, सामाजिक जुड़ाव की नैतिकता, व्यावहारिक कौशल; जैसे— संप्रेषण, वाद-विवाद, चर्चा और एक चुने हुए क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में अच्छी विशेषज्ञता में मदद करेगी तथा कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाएँ अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेंगी तथा साथ ही इसमें प्रवेश एवं विकास से संबंधित बिंदुओं के अनेक विकल्प होंगे। इस शिक्षा नीति के अनुसार समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को वास्तविक धरातल पर लाने के लिए समस्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लचीले और नवीन पाठ्यक्रम में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य शिक्षा आदि क्षेत्र सम्मिलित होंगे तथा इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य की समस्त क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्वतंत्र भारत अर्थात् आज़ाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति 1968 में तथा दूसरी शिक्षा नीति 1986 में देश के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के संदर्भ में वर्ष 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई तथा इस नीति के निर्माण अर्थात् इसको तैयार करने के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी परामर्श

प्रक्रिया आयोजित की गई। यह शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। इस शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम के 10+2 ढाँचे की जगह 5+3+3+4 की नयी पाठ्यक्रम संरचना

*असिस्टेंट प्रोफेसर, मण्डलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला — दक्षिण-पश्चिम, घुमनहेड़ा, नयी दिल्ली 110 073

लागू की जाएगी जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 उम्र के बच्चों के लिए है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब तक दूर रखे गए 3-6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। नयी शिक्षा व्यवस्था में तीन साल की आँगनबाड़ी/प्री-स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी तथा प्री-स्कूलिंग एवं स्कूली शिक्षा को मिलाकर यह अवधि कुल 15 वर्ष की होगी। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ-ही-साथ छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, सतत सीखते रहने की कला और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी विशेष बल दिया गया है। वास्तव में यह नीति शिक्षा तक सबकी पहुँच को आसान बनाने, समता, गुणवत्ता और जवाबदेही आदि के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत समग्र एवं बहु-विषयक शिक्षा पर विशेष बल एवं महत्व प्रदान किया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विषय में यह उल्लेखित किया गया है कि—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की विवेचना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा को निम्न आधारों पर प्रस्तुत एवं विवेचित किया जा सकता है—

भारत में समग्र और बहु-विषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परंपरा है, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर ऐसे कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे

बाणभट्ट की कादंबरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित/वर्णित करती है; और इन 64 कलाओं में न केवल गायन और चित्रकला जैसे विषय शामिल हैं, बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे रसायनशास्त्र और गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बढ़ई का काम और कपड़े सिलने का कार्य, व्यावसायिक कार्य जैसे औषधि तथा अभियांत्रिकी और साथ-ही-साथ संप्रेषण, चर्चा और वाद-संवाद करने के व्यावहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) भी शामिल हैं। — *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृ.सं. 57 एवं 58

1. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा द्वारा मनुष्य की सभी क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करना— इस नीति के अनुसार समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य की सभी क्षमताओं, जैसे— बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, सौंदर्यात्मक, भावात्मक तथा नैतिक को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा। यह नीति इस बात को स्वीकारती है कि ऐसी शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, कला, मानविकी, भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण 21वीं सदी की क्षमता, सामाजिक जुड़ाव की नैतिकता, व्यावहारिक कौशल; जैसे— संप्रेषण, वाद-विवाद, चर्चा और एक चुने हुए क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में अच्छी विशेषज्ञता में मदद करेगी तथा साथ ही इस तरह की समग्र शिक्षा लंबे समय तक व्यावसायिक, तकनीकी और पेशेवर विषयों सहित सभी स्नातक कार्यक्रमों का दृष्टिकोण होगा। यह नीति इस बात पर बल देती है कि समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का

प्रमुख उद्देश्य मनुष्य की समस्त क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा।

2. कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं को हटाकर आजीवन सीखने की संभावनाओं को बढ़ावा देना— यह शिक्षा नीति इस बात पर बल देती है कि कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाएँ अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेंगी तथा साथ ही प्रवेश एवं निकास से संबंधित बिंदुओं के विकल्प होंगे। इस नीति के अनुसार इस तरह की व्यवस्था से आज की कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं को हटाकर आजीवन सीखने से संबंधित संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर (मास्टर एवं डॉक्टरेट) की शिक्षा कठोर अनुसंधान आधारित विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ-ही-साथ अकादमिक और उद्योग सहित बहु-विषयक कार्यों के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।

3. भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए विषयों के विभागों को बहु-विषयक बनाना— इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बात बड़े ही स्पष्ट रूप से वर्णित की गई है कि देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों में साहित्य, भाषा, दर्शन, संगीत, कला, नृत्य, शिक्षा, नाट्यकला, गणित, सांख्यिकी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, व्यावहारिक विज्ञान, अनुवाद एवं व्याख्या और अन्य ऐसे विषयों के विभागों को बहु-विषयक, भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित एवं मजबूत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन विषयों में सभी स्नातक उपाधि कार्यक्रमों में क्रेडिट प्रणाली अथवा व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा।

4. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा आज के विद्यालयों की ज़रूरत— इस नीति का यह अटल विश्वास है कि समग्र और बहु-विषयक शिक्षा जो कि भारत के इतिहास में बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णित की गई है, वास्तव में आज के विद्यालयों की ज़रूरत है। जिससे कि हम 21वीं शताब्दी और चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकें। इस नीति के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि अभियांत्रिकी संस्थान, जैसे— आई.आई.टी. कला और मानविकी के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे तथा कला और मानविकी के विद्यार्थी भी विज्ञान सीखेंगे। इस नीति के अनुसार कोशिश यही होगी कि सभी विद्यार्थी व्यावसायिक विषय और व्यावहारिक कौशलों को हासिल करें। समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्णित किया गया है कि—

5. छात्रों के लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन, नवीन और रोचक कोर्सेस के विकल्प देना— इस नीति में छात्रों के लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन, नवीन और रोचक कोर्सेस के विकल्पों पर विशेष बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में इस संदर्भ में यह वर्णित

आकलन से पता चलता है कि स्नातक शिक्षा के दौरान ऐसी शैक्षणिक पद्धतियाँ जो एस.टी.ई.एम. (विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित) के साथ मानविकी और कला शिक्षा को समाहित करती हैं, तो रचनात्मकता और नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन एवं उच्चतर स्तरीय चिंतन की क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, समूह कार्य

में दक्षता, संप्रेषण कौशल, सीखने में गहराई और पाठ्यक्रम के सभी विषयों पर पकड़, सामाजिक और नैतिकता के प्रति जागरूकता आदि जैसे सकारात्मक शैक्षणिक परिणाम प्राप्त हुए हैं और साथ ही समग्र और बहु-विषयक शिक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान में भी सुधार और बढ़ोतरी हुई है। — *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृ.58

किया गया है कि बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उच्चतर गुणवत्ता की समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए जाएँगे। इसके अतिरिक्त विषयों में कठोर विशेषज्ञता के अलावा छात्रों के लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन, नवीन और रोचक कोर्सेस के विकल्प भी दिए जाएँगे तथा साथ ही पाठ्यक्रम निर्धारित करने के संदर्भ में संकाय और संस्थागत स्वायत्तता को विशेष महत्व प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शिक्षाशास्त्र में संचार, बहस, चर्चा, अनुसंधान और अंतःविषयक सोच के अवसरों पर भी अधिक बल दिया जाएगा।

6. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के लिए क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करना— इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को वास्तविक धरातल पर लाने के लिए समस्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लचीले और नवीन पाठ्यक्रम में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य शिक्षा आदि के क्षेत्र सम्मिलित होंगे।

उदाहरण के रूप में पर्यावरण शिक्षा में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अवशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का प्रबंधन, वन और वन्यजीवन संरक्षण तथा सतत

मूल्य आधारित शिक्षा में निम्न शामिल हैं— मानवीय, नैतिक, संवैधानिक तथा सार्वभौमिक मूल्य; जैसे— सत्य, नेक आचरण, शांति, प्रेम, अहिंसा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नागरिक मूल्य और जीवन-कौशल, सेवा तथा सामुदायिक कार्यक्रमों में सहभागिता समग्र शिक्षा का अभिन्न अंग होगा। जैसे-जैसे दुनिया तेजी से आपस में जुड़ती जा रही है, वैश्विक नागरिक शिक्षा (जी.सी.ई.डी.), समकालीन वैश्विक चुनौतियों की प्रतिक्रिया, शिक्षार्थियों को वैश्विक मुद्दों को समझने और अधिक शांति, सहिष्णु, समावेशी, सुरक्षित और सतत समाज के सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए प्रदान की जाएगी। — *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* पृ. 59

विकास आदि क्षेत्र सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने ही संस्थानों में अथवा अन्य उच्चतर शिक्षा अथवा शोध संस्थानों में इंटरनशिप के समुचित अवसर उपलब्ध कराएँगे; जैसे— स्थानीय उद्योग, कलाकार, व्यवसाय, शिल्पकार आदि के साथ इंटरनशिप और शिक्षकों एवं शोधार्थियों के साथ शोध इंटरनशिप आदि, ताकि विद्यार्थी सक्रिय रूप से अपने सीखने के व्यावहारिक पक्ष के साथ जुड़ सकें तथा साथ-ही-साथ वे स्वयं के रोज़गार की संभावनाओं को भी विस्तार दे सकें।

7. डिग्री कार्यक्रमों की अवधि तथा संरचना में बदलाव करना— यह शिक्षा नीति डिग्री कार्यक्रमों की अवधि तथा संरचना में बदलाव का पुरजोर समर्थन करती है। इस नीति में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह वर्णित किया गया है कि डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में तदनुसार बदलाव किया जाएगा। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी जिसमें उपयुक्त प्रमाण-पत्र के साथ निकास के कई विकल्प भी होंगे। उदाहरण के तौर पर इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि— व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में एक वर्ष पूरा करने पर सर्टिफिकेट, दो वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा और तीन वर्ष के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, जिसमें बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि इस दौरान यह विद्यार्थी अथवा छात्र की रुचि के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त समग्र तथा बहु-विषयक शिक्षा का अनुभव लेने का अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त एक अकादमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना की जाएगी जो कि अलग-अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा जिससे कि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि विद्यार्थी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में एक जटिल शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे चार वर्षीय कार्यक्रम में ‘शोध सहित’ डिग्री भी प्रदान की जा सकती है।

8. विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की छूट— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्चतर शिक्षण संस्थानों को विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को मुहैया अथवा उपलब्ध कराने की छूट होगी। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत अथवा अनुसार—

1. ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने तीन साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया हो, उन्हें दो वर्षीय कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं जिसमें कि द्वितीय वर्ष पूरी तरह से शोध पर केंद्रित हो।
2. वे विद्यार्थी जिन्होंने चार वर्ष का स्नातक कार्यक्रम शोध के साथ पूरा किया है, उनके लिए एक वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है, और
3. पाँच वर्षों का एकीकृत/स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है। पीएच.डी. के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या चार वर्षों की शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त इस नीति के अंतर्गत एम.फ़िल कार्यक्रम को बंद करने की अनुशंसा की गई है।

9. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करना— इस नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए आई.आई.एम. एवं आई.आई.टी. आदि की तर्ज पर मेरू (बहु-विषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय) नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी एवं इन विश्वविद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना होगा तथा साथ ही ये देश भर में बहु-विषयक शिक्षा के उच्चतम मानकों को भी स्थापित करेंगे।

10. अंतर-विषय अनुसंधान एवं नवाचार पर फ़ोकस करना— इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात को भी वर्णित किया गया है कि उच्चतर शिक्षण संस्थान स्टार्ट-अप, इन्क्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों के केंद्र, अधिकतम उद्योग अकादमिक जुड़ाव तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतर-विषय अनुसंधान की स्थापना करके अनुसंधान एवं नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे तथा साथ-ही-साथ वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों को देखते हुए यह विशेष महत्वपूर्ण है कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान संक्रामक रोगों, विषाणु विज्ञान (वायरोलॉजी), महामारी विज्ञान, नैदानिक उपकरण (डायग्नोस्टिक, इंस्ट्रुमेंटेशन), वैक्सीनोलॉजी और अन्य संबंधित और प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने की अगुवाई करें। इसके अतिरिक्त इस नीति में छात्र समुदाय के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के संदर्भ में उच्चतर शिक्षण संस्थान विशिष्ट हैंडहोल्डिंग तंत्र विकसित करेगा तथा इस संदर्भ में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एन. आर.एफ.) जीवंत अनुसंधान एवं नवाचार संस्कृति को सक्षम बनाने एवं समर्थन प्रदान करने तथा मदद करने के संदर्भ में कार्य करेगा।

समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने से संबंधित कुछ मुख्य चुनौतियाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने से संबंधित कुछ ऐसी प्रमुख चुनौतियाँ हैं जो इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। इन चुनौतियों को निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है—

1. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के संदर्भ में सभी शिक्षण-संस्थानों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों आदि के बुनियादी ढाँचे अथवा संस्थागत संरचना में विशेष बदलाव अथवा परिवर्तन लाने होंगे अथवा करने पड़ेंगे। समूचे राष्ट्र के शिक्षण संस्थानों में एक साथ इस तरह के बदलाव अथवा परिवर्तन लाना इतना आसान कार्य नहीं है। अतः समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के मार्ग में बुनियादी ढाँचे एवं संस्थागत संरचना में बदलाव करना अथवा परिवर्तन लाना इस शिक्षा के मार्ग में एक प्रमुख चुनौती कही जा सकती है जो इसके मार्ग को अवरुद्ध कर सकती है।
2. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातलीय आधार प्रदान करने के लिए इससे संबंधित सभी नीतियों को समयबद्ध तरीके से बड़े ही क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके अथवा ढंग से लागू करना पड़ेगा तथा साथ ही इससे संबंधित अनेक प्रकार के क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों आदि को भी शुरू करना होगा। लेकिन प्रायः यह देखने में आता है कि संबंधित नीतियाँ एवं कार्यक्रम समयबद्ध तरीके एवं व्यवस्थित ढंग से लागू नहीं हो पाते जिनके अभाव में इस प्रकार की शिक्षा के विचार को धरातलीय आधार प्रदान करना एक मुश्किल कार्य होगा।
3. इस संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता एवं विशेष पैकेज शीघ्रता से प्रदान करने होंगे जिससे कि समग्र और बहु-विषयक शिक्षा को उचित दिशा एवं आधार प्रदान किया जा सके। वित्तीय सहायता के अभाव के कारण भी इसके मार्ग

में अनेक प्रकार के अवरोध एवं बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

4. यह नीति समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के संदर्भ में मनुष्य की सभी क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करने पर बल देती है। लेकिन क्षमताओं के एकीकृत विकास के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के मानविकी, व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना एक कष्टकर एवं जटिल कार्य है जिसको इतनी आसानी से संपादित नहीं किया जा सकता।
5. इस नीति में विषयों के विभागों को बहु-विषयक बनाने पर बल दिया गया है, लेकिन विभागों को बहु-विषयक बनाने के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के संस्थागत एवं प्रशासनिक परिवर्तनों को अमली जामा पहनाना पड़ेगा जो कि एक दुष्कर एवं कठिन कार्य है।
6. इस नीति के अंतर्गत अभियांत्रिकी संस्थान, जैसे— आई.आई.टी.; कला और मानविकी के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे तथा कला और मानविकी के विद्यार्थी भी विज्ञान सीखेंगे। लेकिन वे विद्यार्थी जो पहले से ही विज्ञान विषय में रुचि नहीं रखते या वे विद्यार्थी जो कला अथवा मानविकी के विषयों में रुचि नहीं रखते तो उनके लिए समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का क्या औचित्य होगा और वे किस प्रकार इस प्रकार की शिक्षा के मध्य समन्वय अथवा सामंजस्य स्थापित कर पाएँगे।
7. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के संदर्भ में मेरू नामक सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करना केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, जैसे— कितने

विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएँगे, कहाँ स्थापित किए जाएँगे, उनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उनमें केंद्र एवं राज्य सरकारों की क्या भूमिका होगी, क्या वर्तमान विश्वविद्यालयों को भी मेरू नामक सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में सम्मिलित किया जाएगा आदि; इसके अतिरिक्त इन विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना अपने आप में बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

8. इस संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती समग्र एवं बहु-विषयक शिक्षा के क्रियान्वयन को लेकर है अर्थात् इस प्रकार की शिक्षा के क्रियान्वयन का आधार क्या होगा? समग्र एवं बहु-विषयक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम कैसे बदलेंगे अथवा उनकी प्रक्रिया क्या होगी तथा इससे संबंधित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को किस तरह पूरा किया जाएगा अर्थात् उनके व्यवहार में कैसे क्रियान्वयन एवं संपादन किया जाएगा, इसमें स्पष्टता की कमी है।
9. समग्र एवं बहु-विषयक शिक्षा गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त अथवा प्रकट करती है। लेकिन गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा अथवा उसका व्यावहारिक अनुप्रयोग किस तरह से किया जाएगा अर्थात् उसको अमली जामा किस तरह से पहनाया जाएगा, उसके प्रमुख पक्ष कौन-कौन से होंगे एवं उनका प्रमुख आधार क्या होगा, यह भी एक प्रमुख चुनौती इस संदर्भ में परिलक्षित होती है।
10. इस शिक्षा के संदर्भ में एक अन्य और विशेष चुनौती स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषाओं को

लेकर भी हो सकती है। शिक्षण प्रक्रिया एवं अधिगम के संदर्भ में भाषाओं को लेकर विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है तथा साथ ही अंग्रेजी और गैर-अंग्रेजी माध्यम से सीखने अथवा पढ़ने वालों विद्यार्थियों में रोजगार के अवसरों में अंतर बढ़ने से संबंधित चुनौती इस संदर्भ में प्रस्तुत हो सकती है।

11. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के संदर्भ में एक अन्य चुनौती विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में स्थापित करने के संदर्भ में भी हो सकती है। विदेशी विश्वविद्यालय एक खास विचारधारा एवं मुनाफ़े को लेकर कार्य करेंगे तथा साथ ही वे स्थानीय विश्वविद्यालयों के साथ प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा वाली रणनीति अपनाएँगे। इसके अतिरिक्त विदेशी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए प्रवेश लेना तथा शिक्षा प्राप्त करना भी महँगा हो सकता है तो ऐसी स्थिति में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने एवं उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएँ एवं अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त आधारों एवं पक्षों की विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज एवं ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं

को सामने लाना है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत समग्र और बहु-विषयक शिक्षा से संबंधित कुछ ऐसे प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे— समग्र और बहु-विषयक शिक्षा द्वारा मनुष्य की सभी क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करना, कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं को हटाकर आजीवन सीखने की संभावनाओं को बढ़ावा देना, भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए विषयों के विभागों को बहु-विषयक बनाना, समग्र और बहु-विषयक शिक्षा आज के विद्यालयों की ज़रूरत, छात्रों के लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन, नवीन और रोचक कोर्सेस के विकल्प देना, समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के लिए क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करना, डिग्री कार्यक्रमों की अवधि तथा संरचना में बदलाव करना, विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की छूट, समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, अंतर-विषय अनुसंधान एवं नवाचार पर फ़ोकस करना आदि जो इसे अपने आप में वर्तमान समय में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के संदर्भ में एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण शिक्षा नीति बनाते हैं। इसके अतिरिक्त यद्यपि इस शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के संदर्भ में कुछ ऐसी चुनौतियाँ एवं समस्याएँ भी हैं जो इसके मार्ग को अवरुद्ध कर सकती हैं। यदि हम इन चुनौतियों एवं समस्याओं का डटकर मुकाबला करें तथा इनके संदर्भ में समयबद्ध एवं क्रमबद्ध तरीके से विशेष रणनीतियों एवं आव्यूह रचनाओं का निर्माण करें और उनको व्यावहारिक रूप से अनुप्रयोग में लाएँ तो *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर आसानी से उतारा जा सकता है।

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.

<https://innovateindia.mygov.in/nep2020/>

https://www.ugc.ac.in/pdfnews/5294663_Salient-Featuresofnep-Eng-merged.pdf

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

<https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/explained-how-will-nep-2020-change-the-education-system-in-india-1767385-2021-02-09>